भारत सरकार के अनुदेश

फाइल सं. 6(5)-बी (आर)/99वित्त मंत्रालयआर्थिक मामला विभागबजट प्रभागनई दिल्लीग 13 जून, 2006

विषय: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निष्पा9दन लेखापरीक्षा

यह स्प्ष्टींकरण मांगा गया है कि क्याि निष्पादन लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य , शक्तिपयां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।

2. सरकार ने मामले पर विचार किया है। कर्तव्यर, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास लेखापरीक्षा के मामले और कार्यक्षेत्र से सबंधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियमित करने की शक्तिकयाँ है। इन प्रावधान के अनुपालन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों/सिद्धांतो/विनियमों पर आधारित वित्तीय लेखापरीक्षाओं और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्ते निष्पाधदन लेखापरीक्षाएं आयोजित करता है। संवैधानिक अनिवार्यता के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सभी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद और राज्यस विधान मंडल जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तु त की जाती हैं।
3. इसलिए यह स्पंष्टभ किया जाता है कि निष्पारदन लेखापरीक्षा जो लोक निधियों की प्राप्तिन और अनुप्रयोग में मितव्यंयिता, दक्षता तथा प्रभाविता की लेखापरीक्षा से संबंधित है इसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पहले से ही विद्यमान निष्पालदन लेखापरीक्षा हेतु बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अंदर माना जाता है।
4. सभी मंत्रालयों/विभागों से तदनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी लेखापरीक्षाओं के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अपेक्षित सभी दस्ताावेजों को उपलब्धख कराते हुए निष्पा दन लेखापरीक्षा सहित लेखापरीक्षाओं के आयोजन में सुविधा प्रदान करें। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन फा. सं. 1(43)-बी/78 दिनांक 23 सितम्ब र 1978 की और मंत्रालयों का ध्याकन आकर्षित किया जाता है जिसमें कि बिना किसी आंशका के लेखापरीक्षा हेतु कार्यालयी दस्ताञवेज के प्रस्तुातीकरण प्रक्रिया और स्था यी अनुदेशों के अनुसार वर्गीकृत फाइलों की अभिरक्षा और सम्भालने के संबंध में उचित देखभाल को स्प ष्ट किया गया है।
5. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी संबंधित अधीनस्थि कार्यालयों और अन्य संस्थारओं को भी तदनुसार सुझाव दिया जाए।

(पी.आर. देवी प्रसाद)विशेष कार्य अधिकारी (एफआरबीएम)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सचित (सभी मंत्रालय/विभाग)

2. राज्यस और संघ राज्यए क्षेत्र सरकारों के मुख्यए सचिव

3. वित्तीय सलाहकार (सभी मंत्रालय/भारत सरकार के विभाग)

4. सूचना एवं अभिलेख हेतु प्रतिलिपि

- कैबिनेट सचिवालय एवं
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय